बिहार विधान-सभा वादवृत

शुक्रवार, तिथि २२ सितम्बर, १९७२

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि २२ सितम्बर, १९७२ को पूर्वाह्न ९ बजे अध्यक्ष श्री शकुर अहमद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ के परन्तुक के अनुशरण में प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा मेज पर रखा जाना।

श्री दारोगा प्रसाद राय—महाश्य, मैं षष्ठ बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९७२ के ३२१ अनागत तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम—४ को ? परन्तुक के अनुसार सदन की मेज पर रखता हुँ।*

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहन किया)

प्रश्नों के सम्बंध में चर्चा

श्री भोला प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है और वह यह है कि आप इन प्रश्नों के पोथे को देख लें और इन्हें अगले सत्र के लिए रख दें।

अध्यक्ष—मैंने आपकी बात को समझ लिया। लेकिन अगले सत्र के लिए फिर और भी प्रश्न आनेवाले हैं और हो सकता है कि वे महत्वपूर्ण प्रश्न आनेवाले हों। इस परिस्थिति में जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उनके उत्तर यथाशीघ्र माननीय सदस्यों के बीच वितरित करा दिए जायँ। अब जो प्रश्न आज पूछे जा सकते है वे न हुंछे जाये।

पाद टिप्पणी * कृपया परिशिष्ट-ब देखें।

कोयल नदी पर पुल

त-१४५। श्री पूरन चन्द्र—क्या मन्त्री, लोक निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि डालटेनगंज में कोयल नदी पर पुल निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त पुल के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है।

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार (निविदा) टेन्डर निकाल कर काम में हाथ लगाने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरसिंह बैठा, मंत्री, लोक निर्माण विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) इस पुल का निर्माण खनन एवं भूतत्व विभाग के वित्तपोषण से करने का प्रस्ताव है जिसके लिये ५२-४४ लाख रु० की लागत पर प्राक्कलन तैयार कर खनन विभाग में भेजा गया है। खनन विभाग की स्वीकृति के बाद प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाएगा। तदनुपरान्त तकनीकी स्वीकृति हो जाने के बाद कार्यारम्भ किया जायगा।

(३) इस कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति होने पर निविदा आमंत्रित की जायेगी और उसके बाद कार्य आरम्भ किया जायेगा।

सहरसा राजकीय अस्पताल

द-१०४। श्री अमरेंद्र मिश्र—मन्त्री, स्वास्थ्य विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला मुख्यालय के राजकीय औषधालय में मरीज बेड के अभाव में बाहर बरामदों में नीचे जमीन पर रहते हैं;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल में साधारण दवाओं के अभाव में गरीब मरीजों का सही इलाज नहीं हो पा रहा है;